Research Paper IMPACT FACTOR VALUE : 5.983 | E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 11 | ISSUE : 7 | JULY 2025

# ग्रामीण विकास में महिला सरपंचों की भूमिका एवं चुनौतियाँ एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (म.प्र. के भिण्ड जिले के विशेष संदर्भ में)

**हरनाम सिंह [1] |डॉ. दिनेश सिंह कुशवाह [2]**

[1] **शोधार्थी-समाजशास्त्र जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)**

[2] **सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र माघव महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)**

## ABSTRACT:

भारत ग्राम प्रधान देश है। अतः गाँव की प्रगति एवं विकास पर ही भारत की प्रगति एवं विकास निर्भर करता है। प्राचीन काल से ही ग्रामीण शासन व्यवस्था पंचायतों द्वारा की जाती रही है। शासन प्रणाली का कोई भी रूप हो चाहे राजतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो. पचायतीराज किसी न किसी रूप में पाया जाता रहा है। पंचायती राज संस्थाएँ लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है। राष्ट्र के प्रत्येक ग्रामीण अचल के आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण एवं समग्र विकास हेतु ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का बेहतर रूप से लागू होना अति आवश्यक है। हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ बनाया गया है तथा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस संशोधन में महिलाओं के लिए पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था की गई। मध्यप्रदेश सरकार ने 2007 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया जिससे महिलाएँ पंचायतों में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले सके एवं अपनी कार्यप्रणाली एवं नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करके समाज एवं राष्ट के उत्थान में सहायक हो सकें। महिला आरक्षण का परिणाम यह हुआ कि महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रो में भागीदारी बढ़ी एवं महिला साक्षरता में भी वृद्धि देखी गई। अब ग्रामीण क्षेत्र की महिला सरपच ही नहीं बल्कि आम महिलाएँ भी अपने क्षेत्र से सम्बंधित समस्याओं को जानने एवं उसके निराकरण के लिए कार्य करने लगी है। प्रस्तुत शोध के तथ्यों के विश्लेषण से यह परिणाम प्राप्त हुआ कि महिला सरपच ग्रामीण विकास में पुरुष सरपंचों के समान ही अपनी अहम भूमिका निभा रही है। कहीं-कही पर तो पे पुरुषों से बढ़कर कार्य कर रही है। महिला सरपंचों के कारण आम महिलाएँ भी जागरूक हुई हे एवं वे भी अपनी क्षमता को समझने लगी है. साथ ही यह भी देखने को मिला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आरक्षण की सीमा से अधिक है और इसमे निरन्तर वृद्धि हो रही है जो महिला जागरूकता एवं सशक्तिकरण का द्योतक है।

## KEYWORDS:

**ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ग्रामीण स्वशासन, लोकतंत्र, महिला प्रतिनिधित्व।**

| PAPER ACCEPTED DATE: | PAPER PUBLISHED DATE: |
|---|---|
| 28th July 2025 | 30th July 2025 |

### प्रस्तावना

लोकतंत्र की सफलता सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर निर्भर होती है जिस प्रकार हमारा शरीर एक संघ है जिसका नेतृत्व मस्तिष्क करता है किन्तु शरीर का प्रत्येक अंग अपना अलग कार्य करता है तो शरीर सुचारू रूप से कार्य करता रहता है, ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र में केन्द्र सरकार द्वारा जब शक्तियों का विकेन्द्रीकरण प्रदेश एवं स्थानीय स्तर पर कर दिया जाता है तो प्रत्येक स्तर पर कार्य करने में आसानी होती है। लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य सार्थक भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही है। आम नागरिकों के सबसे करीब होने के कारण जीवत और मजबूत पंचायती राज संस्था लोकतंत्र में सबकी भागीदारी और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम होती है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से देश के नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर राष्ट्र के विकास में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते है। इस प्रक्रिया में आधी आबादी अर्थात महिलाओं की समान भागीदारी के बिना गाँव का सम्पूर्ण विकास संभव नहीं है। अतः सविधान ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देकर इस कमी को पूरा कर दिया।

### महिला सरपंचों की भूमिका

ग्रामीण क्षेत्र की महिला सरपंच एवं आम महिलाएँ मिलकर अपने क्षेत्र से सम्बंधित समस्याओं को जानने एवं उनके निराकरण के लिए कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सरपंच ग्राम सभा के आयोजन से पहले महिलाओं की एक आम सभा का आयोजन करती है. जिसमें ग्रामीण महिलाएँ अपनी समस्याओं को अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करती है। ग्राम सभा में उन समस्याओं पर विचार विमर्श करके उनका निवारण किया जाता है. इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था महिला सशक्तिकरण में सहायक हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण किया गया जिससे प्रत्येक महिला को सुरक्षा मिल सके। गाँव में महिला सशक्तिकरण केन्द्र खेले गए जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जागरूक करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपने आपको आत्मनिर्भर बना रही है।

महिला सरपंचों द्वारा ग्रामीण महिलाओं को योजनाओं के माध्यम से जागरूक करके याह प्रशिक्षण दिया जाता है कि ग्रामीण महिलाएँ अपनी आर्थिक आय कैसे कर सकती है। उद्यमी एवं बचतकर्ता कैसे बन सकती है? इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं में निवेश कई गुना लाभ लेकर आता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने एवं विकसित करने में महिला सरपचों की अपनी अहम भूमिका रही है। महिला सरपंच ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की जानकारी प्रदान करती है जिससे ग्रामीण महिलाएँ स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) नामक माइक्रोफाइनेंस मध्यस्थों के माध्यम से अपने परिवारों के लिए ऋण सुरक्षित करने और अन्य परिवारों को उधार देने के लिए बचत एकत्र करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला सरपंच ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को प्रदान करती है जिससे ग्रामीण तोग लाभान्वित होते है।

महिला सरपंचों द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

- **महिला सशक्तिकरण:** महिला सरपंच स्वयं सहायता समूहों का गठन करके महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने में सहायता कर रहीं हैं।
- **शिक्षा:** महिला सरपंच शिक्षा के महत्त्व को समझती हैं, अतः वे ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाव देने का कार्य कर रहीं हैं।
- **स्वास्थ्य:** महिला सरपंच ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहीं हैं।
- **स्वच्छता:** महिला सरपंच स्वच्छता के महत्त्व को समझती हैं अतः वे ग्रामों में

स्वच्छता अभियान चलाकर गाँवों को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका निभा रहीं हैं।

- **ग्रामीण विकास:** महिला सरपंच ग्रामीण विकास हेतु योजनाएँ बनाने एवं उन्हें लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा सरकार द्वारा चलाई जा रहीं ग्राम विकास योजनाओं से ग्रामवासियों को अवगत करातीं हैं।
- **वित्तीय प्रबंधन:** महिला सरपंच ग्राम पंचायत के वित्तीय मामलों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करतीं हैं।
- **अन्य कार्य:** महिला सरपंच गाँव में बिजली, पानी एवं सड़कों की सुविधा प्रदान करने जैसे कार्यों में भी योगदान करतीं हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि महिला सरपंच केवल महिला सशक्तिकरण द्वारा महिलाओं को ही सशक्त नहीं कर रहीं हैं बल्कि ग्रामीण विकास में भी अपनी अहम् भूमिका निभा रहीं हैं।

## महिला सरपंचों की चुनौतियाँ

महिला सरपंचों की कई चुनौतियाँ हैं जिनमें सबसे बड़ी चुनौती पुरूष प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जिसमें महिला को पुरूष या पति के अधीन माना जाता है। पति के बिना उसका निजी कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है। जब भी गाँव में कोई पंचायत का चुनाव होता है तो महिला को उसके पति, पिता या ससुर की पहचान द्वारा चुनाव में प्रचारित किया जाता है। यदि कोई महिला अपनी निजी पहचान पर चुनाव लड़ती है तो उसे हेय की दृष्टि से देखा जाता है। भिण्ड जिले के एक गाँव की महिला सरपंच से शोधार्थी ने इस विषय पर बात की तो उसने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान जब उसने स्वयं महिलाओं के बीच जाना शुरू किया तथा एक-दो बैठक गाँव में की तो महिला और पुरूषों ने उसकी बहुत निन्दा की, आलोचना की। तब उसने अपने पति के साथ चुनाव प्रचार किया। चुनाव जीतने के बाद लोग उसको सरपंच कम एवं उसके पति को सरपंच अधिक मानते हैं।

विचारणीय प्रश्न यह है कि अगर समाज महिला की योग्यता पर सवाल उठाए तो उसका जवाब दिया जा सकता है किन्तु समाज इसके विपरीत महिला के चरित्र एवं उसकी छवि पर सवाल खड़े करता है। समाज (पितृसत्तात्मक समाज) को यह बिल्कुल रास नहीं आता कि कोई महिला खुद (बिना किसी पुरूष-पति, पिता, ससुर, पुत्र) के नाम से पहचानी जाय। इतना ही नहीं जब कोई महिला सरपंच स्वयं की पहचान पर स्वतंत्र रूप से पंचायत भवन पहुँचती है तो वहाँ उसे अपनी स्वयं की जगह बनाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर महिला सरपंच खुद से कोई निर्णय ले या कोई काम करना चाहे तो सभी उसके रास्ते में रोड़ा बनने लगते हैं। इसके साथ-साथ महिला सरपंचों के लिए अशिक्षा, रूढ़ियाँ, परम्परा, जागरूकता की कमी आदि चुनौतियाँ हैं लेकिन आधुनिक महिला सरपंच धीरे-धीरे इन चुनौतियों का सामना करते हुए धीरे-धीरे प्रगति के पथ पर बढ़ रहीं हैं, गति धीमी अवश्य है किन्तु इसके दूरगामी परिणाम सार्थक होंगे।

## शोध उद्देश्य

- भिण्ड जिले के ग्रामीण विकास में महिला सरपंचों की भूमिका का अध्ययन करना।
- महिला सरपंचों की चुनौतियों का पता लगाना।

## शोध परिकल्पना

- महिला सरपंच ग्रामीण विकास में प्रशंसनीय कार्य कर रहीं हैं।
- पुरूष प्रधान समाज महिला सरपंचों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

## अध्ययन की आवश्यकता

भारतीय समाज में महिलाओं के कार्यों को पुरूषों की अपेक्षा कम आँका जाता है। पारिवारिक या घरेलू कार्यों का कोई मूल्य नहीं माना जाता है। कई क्षेत्रों में महिलाएँ पुरूषों से भी अधिक कार्य करतीं हैं किन्तु उनके कार्यों को महत्त्व नहीं दिया जाता है। महिलाओं को केवल पारिवारिक जिम्मेदारी ही सौंप दी जाती है और समझा जाता है कि महिलाएँ केवल बच्चों का पालन-पोषण कर सकतीं हैं और गृहस्थी चला सकतीं हैं। शोधार्थी का यह प्रयास रहा है कि वह यह स्पष्ट कर सके कि महिलाएँ भी पुरूषों से कम नहीं हैं। यदि उन्हें अवसर दिया जाय तो वे पुरूषों के समान ही बढ़चढ़ कर अपनी क्षमता दिखा सकतीं हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का शोधार्थी द्वारा अध्ययन करना महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन अवश्य लाएगा।

## शोध क्षेत्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''महिला सरपंचों की भूमिका एवं चुनौतियाँ एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (म.प्र. के भिण्ड जिले के विशेष संदर्भ में) में भिण्ड जिले की महिला सरपंचों का अध्ययन किया गया है। भिण्ड जिले की 50 महिला सरपंचों का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा चयन करके उनका अध्ययन किया गया।

## शोध उपकरण

शोध उपकरण हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। अनुसूची का प्रथम भाग उत्तरदाता महिलाओं की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जानकारी से सम्बंधित है जिसमें उनकी आयु, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति आदि की जानकारी सम्मिलित है।

अनुसूची के द्वितीय भाग में महिलाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका एवं चुनौतियों से सम्बंधित कथन (प्रश्न) हैं जिनकी संख्या 6 है जिनके उत्तर हाँ या नहीं में हैं।

## शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति विवरणात्मक है। महिलाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका के बारे में जानकारी हेतु विवरणात्मक प्रकार को अपनाया गया है। तथ्यात्मक एवं वास्तविकता को जानने के लिए सहभागी शोध प्रविधि को अपनाया गया है।

## आँकड़ों का संकलन

प्रस्तुत शोध कार्य में महिला सरपंचों की पंचायती राज में भूमिका एवं चुनौतियो से सम्बंधित वास्तविक एवं विश्वसनीय आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा सर्वेक्षित महिला सरपंचों को शोध के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए अत्यन्त संवेदनापूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संकलित किए गए। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन संदर्भ पुस्तकों, शोध साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्र, शोध-आलेख, इन्टरनेट, शासकीय प्रकाशन आदि से एकत्रित किए गए।

## सांख्यिकी विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सांख्यिकीय पद्धतियों द्वारा संकलित तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। आँकड़ों का संकलन करने के बाद उनका वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं आरेख के माध्यम से उनका प्रस्तुतीकरण किया गया है।

## ग्रामीण विकास सम्बंधी जानकारी

**सारणी क्रमांक-1**

**सरकारी योजना सम्बंधी विवरण**

| क्रमांक | क्या आप सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देकर उनके क्रियान्वयन में सहयोग करतीं हैं ? | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 36 | 72 |
| 2. | नही | 14 | 28 |
| | **योग** | **50** | **100** |

स्रोत: स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा

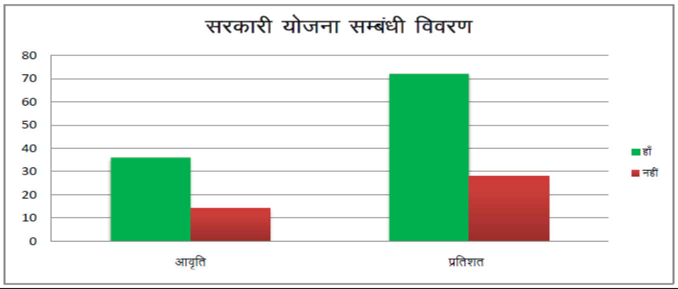

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 50 उत्तरदाता महिलाओं में से 36 (72%) ने स्वीकार किया है कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देती हैं एवं 14 (28%) ने कहा कि वे जानकारी एवं सहयोग नहीं दे पाती हैं। इसका कारण अवलोकन द्वारा जाना गया तो पता चला कि कुछ महिलाएँ अशिक्षित होने के कारण योजनाओं की जानकारी नहीं रखती हैं या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा यह कार्य किया जाता है। जिन महिला सरपंचों ने हाँ कहा है उनमें भी अधिकतर स्वयं कार्य न करके उनके परिवार के पुरूष सदस्यों द्वारा ही किया जाता है किन्तु महिला सरपंचों से बोला जाता है कि सर्वेक्षण के समय आप स्वयं के द्वारा कार्य किए जाते हैं, यह बोला कीजिए।

**सारणी क्रमांक-2**

**ग्राम पंचायत सम्बंधी कार्यों का विवरण**

| क्रमांक | क्या आप ग्राम पंचायत के कार्यों जैसे-स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क निर्माण आदि पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से करतीं हैं? | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 42 | 84 |
| 2. | नही | 08 | 16 |
| | **योग** | **50** | **100** |

स्रोत: स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा

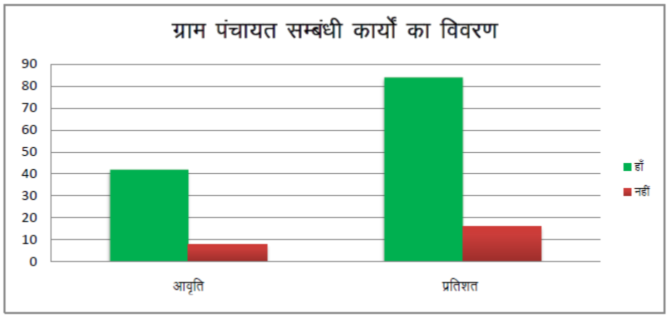


उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 50 उत्तरदाता महिलाओं में से 42 (84%) ने स्वीकार किया है कि वे ग्राम पंचायत से सम्बंधित कार्यों को पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से करतीं हैं जबकि 08 (16%) ने नहीं में उत्तर दिया। इनके प्रमुख कारण का पता लगाने पर पता चला कि इन महिलाओं के परिवार के पुरूष सदस्य इन कार्यों में भागीदारी लेते हैं। जिन महिलाओं ने हाँ कहा उनके परिवार के पुरूष सदस्य ही भागीदारी लेते हैं।

**सारणी क्रमांक-3**

**ग्रामीण महिला सशक्तिकरण सम्बंधी जानकारी**

| क्रमांक | क्या आप ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करती हैं? | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 46 | 92 |
| 2. | नही | 06 | 08 |
| | **योग** | **50** | **100** |

स्रोत: स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा

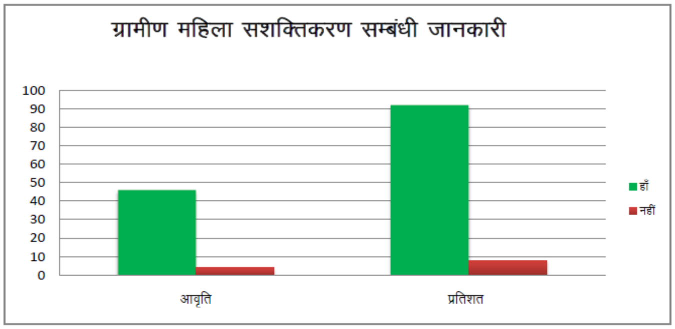


उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 50 उत्तरदाता महिलाओं में से 46 (92%) ने स्वीकार किया है कि वे ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु जागरूक करती हैं जबकि 04 (08%) उत्तरदाताओं ने नहीं में उत्तर दिया। नहीं मैं उत्तर देने वाली महिला की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने पर पता चला कि उनके परिवार के पुरूष उन्हें ऐसा करने पर रोकते हैं।

**महिला सरपंचों की चुनौतियाँ सम्बंधी जानकारी**

**सारणी क्रमांक-4**

**महिला सरपंच की अपेक्षा उसके पति को महत्त्व देने सम्बंधी जानकारी**

| क्रमांक | क्या आपके सरपंच पद पर निर्वाचित हो जाने पर आपकी अपेक्षा आपके पति को ग्रामीणजन अधिक महत्त्व देते हैं? | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 27 | 54 |
| 2. | नही | 23 | 46 |
| | **योग** | **50** | **100** |

स्रोत: स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा

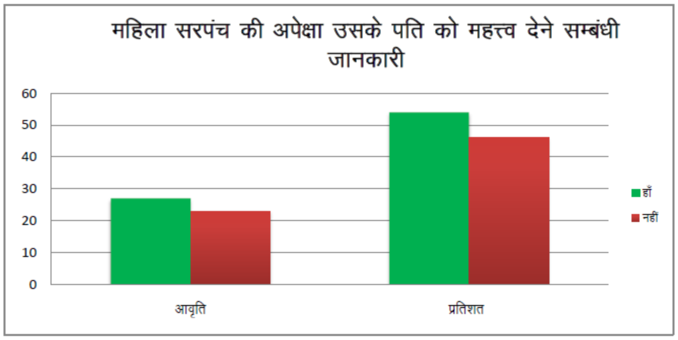


उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 50 उत्तरदाता महिलाओं में से 27 (54%) ने स्वीकार किया है कि हमारे सरपंच निर्वाचित हो जाने पर हमारे पति को हमारी अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है अर्थात् महिला सरपंच के पति को ही ग्रामीण लोग सरपंच मानते हैं जबकि 23 (46%) महिलाओं ने नहीं में उत्तर दिया है, अवलोकन द्वारा जब हकीकत की जानकारी ली गई तो अधिकतर महिला सरपंच के परिवार के लोग ही पंचायतों के कार्यों का क्रियान्वयन करते पाए गए।

**सारणी क्रमांक-5**

**महिला सरपंचों के साथ पुरूषों द्वारा भेदभाव किए जाने सम्बंधी जानकारी**

| क्रमांक | क्या पुरूषों द्वारा आपके साथ भेदभाव किया जाता है? | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 43 | 86 |
| 2. | नही | 07 | 14 |
| | **योग** | **50** | **100** |

स्रोत: स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा

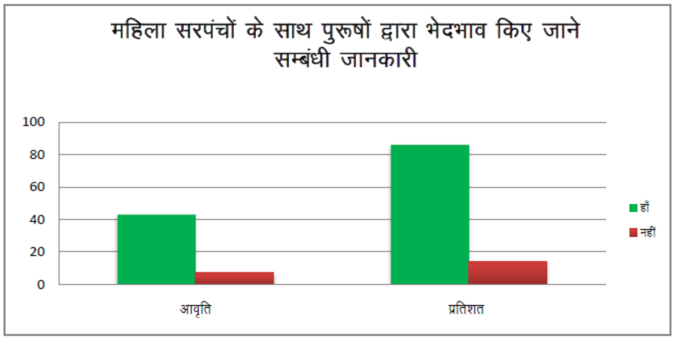


उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 50 उत्तरदाता महिलाओं में से 43 (86%) ने स्वीकार किया है

कि पुरूषों द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है उन्हें पुरूषों की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है। इनका प्रमुख कारण हमारे समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जबकि 07 (14%) महिलाओं ने कहा कि पुरूषों द्वारा उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है।

**सारणी क्रमांक-6**

**महिला सरपंचों के पंचायत संबंधी कार्यों में पुरूषों द्वारा बाधा डालने संबंधी जानकारी**

| क्रमांक | क्या पुरूष आपके पंचायत सम्बंधी कार्यों में बाधा डालते हैं ? | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 47 | 94 |
| 2. | नही | 03 | 06 |
| | **योग** | **50** | **100** |

स्रोत: स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा

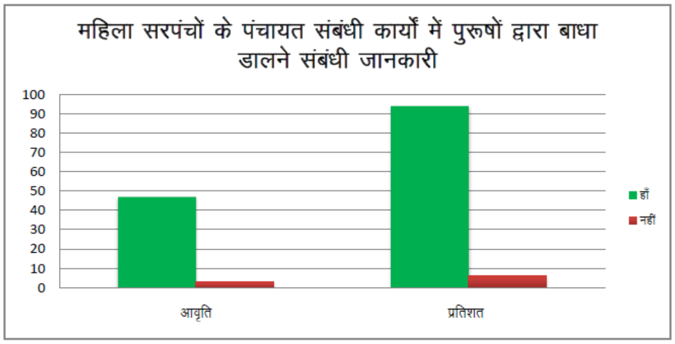


उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 50 उत्तरदाता महिलाओं में से 47 (94%) ने स्वीकार किया है कि पुरूष हमारे पंचायती कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं इसका प्रमुख कारण वे महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा कमतर और हीन समझते हैं। महिलाओं द्वारा किए जा रहे उत्तम कार्यों से वे अपनी बेइज्जती समझते हैं वहीं दूसरी ओर 03 (06%) महिलाओं ने नहीं में उत्तर दिया अर्थात् पुरूष उनके पंचायत संबंधी कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं।

**परिकल्पनाओं का सत्यापन**

**परिकल्पना क्रमांक-1**

महिला सरपंच ग्रामीण विकास में प्रशंसनीय कार्य कर रहीं हैं।

सारणी क्रमांक-1, 2, 3 से हमारी परिकल्पना ''महिला सरपंच ग्रामीण विकास में प्रशंसनीय कार्य कर रहीं हैं।'' स्वीकार होती है अर्थात महिलाएँ ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे रहीं हैं। सारणी क्रमांक-1 से, 72% महिला सरपंच ग्रामीण विकास की योजनाओं सम्बंधी जानकारी ग्रामीणों को दे रहीं हैं एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग कर रहीं हैं। सारणी क्रमांक-2 से, 84% महिला पंचायती कार्यों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क निर्माण, स्वच्छता आदि कार्य लगन एवं ईमानदारी से कर रहीं हैं जिससे ग्रामीण विकास हो रहा है। सारणी क्रमांक-3 से, 92% महिला सरपंच ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रहीं हैं अर्थात् महिला सशक्तिकरण में योगदान दे रहीं हैं। अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ''महिला सरपंच ग्रामीण विकास में प्रशंसनीय कार्य कर रहीं हैं।''

**परिकल्पना क्रमांक-2**

पुरूष प्रधान समाज महिला सरपंचों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

सारणी क्रमांक-4, 5, 6 से हमारी परिकल्पना ''पुरूष प्रधान समाज महिला सरपंचों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।'' स्वीकार होती है अर्थात् महिला सरपंचों के कार्यों में पुरूष बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। सारणी क्रमांक-4 से, 54% महिला सरपंच के पति को ग्रामीणजन सरपंच मानते हैं उस महिला को महत्त्व नहीं देते हैं जबकि वास्तविक स्थिति और भी अधिक है क्योंकि इस सम्बंध में सभी महिला सरपंच सही स्थिति बताने में संकोच करतीं हैं। सारणी क्रमांक-5 से, 84% महिला सरपंच का मानना है कि पुरूषों द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सारणी क्रमांक-6 से, 94% महिला सरपंचों का कहना है कि पुरूषों द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ''पुरूष प्रधान समाज महिला सरपंचों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

**निष्कर्ष**

प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परिलक्षित होता है कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास में महिलाएँ अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं। महिलाएँ अपनी क्षमता एवं नेतृत्व से ग्राम का विकास कर रहीं हैं। सरकार द्वारा ग्राम एवं गाँव की महिलाओं के विकास हेतु अनेक योजनाएँ चलाई जा रहीं हैं वे प्रशिक्षित होकर उनका सही क्रियान्वयन कर रहीं हैं। हालांकि अशिक्षा और पुरूष प्रधान समाज उनकी सबसे बड़ा बाधाएँ हैं धीरे-धीरे वे उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहीं हैं, वे सरकारी योजनाओं का स्वयं लाभ ले रहीं हैं एवं आम जनता तक पहुँचा रहीं हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ अधिकतर कृषि आधारित कार्यो को प्राथमिकता देतीं थीं किन्तु वर्तमान में ग्रामीण महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करके गाँवों का विकास कर रहीं हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के माध्यम से महिलाएँ केवल स्वयं को ही सशक्त नहीं बना रहीं हैं बल्कि देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी बना रहीं हैं।

संविधान ने समानता के आधार पर महिलाओं को वोट देने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार तो दे दिया है किन्तु अब बारी है पुरूष समाज की सोच बदलने की। महिला नेतृत्व को बढ़ाने हेतु अब तक बहुत काम किए गए हैं लेकिन अब आवश्यकता है महिला नेतृत्व को स्वीकार करने की, जमीन तैयार करने की, जहाँ महिला को अच्छी या बुरी महिला की बजाय उसकी योग्यता को महत्त्व दिया जाय उसको पुरूष के समान इंसान स्वीकार किया जाए क्योंकि योग्यता एवं नेतृत्व का पुरूष या महिला से कोई सम्बंध नहीं है। प्रकृति ने दोनों को यह क्षमता प्रदान की है।

**सुझाव**

- महिलाओं की शासन तथा नीति निर्माण प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- महिलाओं के विकास हेतु सकारात्मक सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- महिला संगठनों को वैधानिक मान्यता एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- महिलाओं को भी पुरूषों के समान सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में वैधानिक एवं समान अवसर दिए जाने चाहिए।
- महिलाओं को मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक तत्त्वों व कानूनी प्रावधानों के प्रति प्रत्येक स्तर पर जागरूक किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के लिए शिक्षा, साक्षरता, रोजगार एवं स्वावलंबन के उचित अवसर प्रदान करने हेतु उचित प्रावधान किए जाने चाहिए।
- स्थानीय सरकारों के कार्यों का समय पर सामाजिक अंकेक्षण किया जाना चाहिए जिससे उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।
- सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक व्यवहार एवं कुप्रथाओं में परिवर्तन किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन का प्रयास किया जाना चाहिए।
- ग्राम विकास हेतु लिए गए निर्णय में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

## REFERENCES

1. अमित कुमार: पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनरल ऑफ एडवांस एण्ड स्कोलर्ली रिसर्च इन एलाइड ऐजुकेशन (अंक-9) जून, 2019, पृ. 1007-1012

2. सीमा रानी: ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका, शोध मंथन (अंक-04), मार्च 2018, पृ. 20-27

3. सिंह, अशोक कुमार (1994), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम, योजना, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली।

4. चैपड़ा, डॉ. सरोज (2000), स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

5. सिंह, वी.एन. (2000), ग्रामीण समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।

6. शर्मा, संगीता (2005), महिला विकास एवं राजकीय योजनाएँ, रितु पब्लिकेशन, जयपुर।

7. राकेश शर्मा निशीथ: पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, कुरूक्षेत्र जुलाई 2005, पृ. 01-05

8. बंसल, डॉ. वंदना (2024), पंचायती राज में महिला भागीदारी, कल्याण पब्लिकेशन, दिल्ली।

9. महीपाल (2019), पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत।

10. अमित शुक्ल (2024), सशक्त पंचायत समृद्ध भारत की संकल्पना, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।

11. माहेश्वरी, डॉ. श्रीराम (2024), भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।

12. जैन, डॉ. मनोज कुमार, म0प्र0 के ग्रामीण विकास में पंचायतीराज की भूमिका, यजुर पब्लिशिंग हाउस, बोरीवली।